रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

B 30.8.83

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 276] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1983/श्रावण 1, 1905

No. 276] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1983/SRAVANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1983

सा० का० नि० 578(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट औषधियों के उपयोग से मनुष्यों या जीव-जन्तुओं के जोखिम में पड़ने की संभावना है या उक्त औषधियों में ऐसे चिकित्सीय महत्व नहीं है जिनके लिए दावा किया जाता है या दावा किया जाना तात्पर्यित है या उनमें संघटक ऐसी मात्रा में नहीं है जिनके लिए चिकित्सीय न्यायोचित नहीं है और लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त औषधियों के विनिर्माण और विक्रय का प्रतिषेध करती है; अर्थात् :—

सारणी

1. एमिडोपाइरीन ।
2. प्रति शोथज कारकों और प्रशांतकों के साथ विटामिनों का नियत मात्रा में संयोजन ।
3. पीड़ाहर औषधि और ज्वररोधी औषधियों में एट्रोपिन का नियत मात्रा में संयोजन ।
4. टानिकों में स्ट्रिक्नीन और कैफीन का नियत मात्रा में संयोजन ।
5. टेस्टोस्टिरोन और विटामिनों के साथ योहिम्बीन और स्ट्रिक्नीन का नियत मात्रा में संयोजन ।
6. स्ट्रिक्नीन, आर्सेनिक और योहिम्बीन के साथ लोह का नियत मात्रा में संयोजन ।
7. अन्य औषधियों के साथ सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट का नियत मात्रा में संयोजन ।
8. फैनैसिटीन ।
9. प्रतिप्रवाहिका औषधि के साथ प्रतिहिस्टामिनी औषधि का नियत मात्रा में संयोजन ।
10. सल्फोनामाइड्स के साथ पेनिसिलीन का नियत मात्रा में संयोजन ।

11. पीड़ाहर औषधियों के साथ विटामिनों का नियत मात्रा में संयोजन ।

12. विटामिन सी के साथ टेट्रासाइक्लीन का नियत मात्रा में संयोजन ।

13. उन विनिर्मितियों से भिन्न, जिनका उपयोग प्रवाहिका और अतिसार के उपचार के लिए और केवल बाह्य उपयोग के लिए किया जाता है, हाइड्राक्सी क्विनोलिन औषधि समूह का नियत मात्रा में संयोजन ।

14. दमा के उपचार के लिए अन्य औषधियों के साथ स्टेराइड के संयोजन से भिन्न आभ्यंतर उपयोग के लिए स्टेराइड का नियत मात्रा में संयोजन ।

15. क्लोरेम्फेनिकाल और स्ट्रेप्टोमाइसिन के संयोजन से भिन्न आभ्यंतर के लिए क्लोरेम्फेनिकाल का नियत मात्रा में संयोजन ।

16. आरगाट का नियत मात्रा में संयोजन ।

17. पाइरिडाक्सिन हाईड्रोक्लोराइड के साथ आइसोनिजाइड के संयोजन से भिन्न टी०बी० रोधक औषधियों के साथ विटामिनों का नियत मात्रा में संयोजन ।

18. पेनिसिलीन त्वचा/नेत्र मरहम ।

19. टेट्रासाइक्लीन द्रव मुखीय विनिर्मितियां ।

20. नियलामाइड ।

21. प्रेक्टोलोल ।

22. मेथपिरिलीन और उसके लवण ।

[सं० एक्स०-11014/1/83-डी एम एस एंड पी एफ ए]

एस० वी० सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1983

G.S.R. 578(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drugs specified in the Table below is likely to involve risk to human beings or the said drugs do not have the therapeutic value claimed or purported to be claimed for them or contain ingredients and in such quantity for which there is no therapeutic justification and it is necessary and expedient in the public interest so to do;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture and sale of the said drugs, namely :—

TABLE

1. Amidopyrine.
2. Fixed dose cobinations of Vitamins with anti-inflamatory agents and tranquillisers.
3. Fixed dose combinations of Atropine in Analgesics and Antipyretics.
4. Fixed dose combinations of Strychnine and Caffeine in tonics.
5. Fixed dose combinations of Yohimbine and Strychnine with Testosterone and Vitamins.
6. Fixed dose combinations of Iron with Strychnine, Arsanic and Yohimbine.
7. Fixed dose combinations of Sodium Bromide|Chloral hydrate with other drugs.
8. Phenecatin.
9. Fixed dose combinations of anti-histaminics with anti-diarrhocals.
10. Fixed dose combinations of Penicillin with Sulphonamides.
11. Fixed dose combinations of Vitamins with Analgesics.
12. Fixed dose combinations of Tetracycline with Vitamin C.
13. Fixed dose combinations of Hydroxyquinoline group of Drugs except preparations which are used for the treatment of diarrhoea and dysentry and for external use only.
14. Fixed dose combinations of Staroids for internal use except combination of Steroids with other drugs for the treatment of Asthma.
15. Fixed dose combinations of Chloramphenicol for internal use except combination of Chloramphanicol and Streptomycin.
16. Fixed dose combinations of Ergot.
17. Fixed dose combinations of Vitamins with anti-T.B. drugs except combination of Isoniazide with Pyridoxine Hydrochloride (Vitamin B 6).
18. Pencillin skin|eye ointment.
19. Tetracycline liquid oral preparations.
20. Nialamide.
21. Practolol.
22. Methapyrilene, its salts.

[No. X-11014|1|83-DMS & PFA]

S. V. SUBRAMANIYAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983